राजस्थान सरकार

कार्यालय प्राचार्य स्वामी विवेकानन्द राजकीय महाविद्यालय,खेतड़ी

क्रमांकः—GCK / संविदा / 2022 / 1015 दिनांक—03.01.2023

निविदा आमंत्रण सूचना 08 / 2023
(संविदा पर पुस्तकालयाध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक हेतु)

शैक्षणिक वर्ष 2022—23 में स्वामी विवकानन्द राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी के लिए संविदा पर पुस्तकालयाध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक की आवश्यकता है, जिसके लिए दर संविदा आमंत्रित की जाती है :—

क्र. सं.	विवरण	अनुमानित राशि	बोली प्रतिभूति शुल्क			बोली प्रपत्र शुल्क राशि (रूपये)	खुली निविदा दस्तावेज विक्रय / डाउनलोड करने की अन्तिम दिनांक एवं समय	खुली निविदा दस्तावेज जमा कराने की अंतिम दिनांक एवं समय	तकनीकी बिड खोलने की दिनांक एवं समय	वित्तीय बिड खोलने की दिनांक एवं समय	कार्यालय का नाम जहाँ निविदा प्रस्तुत की जानी हैं
			नियमित 2%	SSI Rajasthan .05%	Sick Ind. 1%						
1	पुस्तकालयाध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक हेतू	60 हजार रूपये	1200	300	600	200	17.01.2023 05:00 PM	18.01.2023 11:30 AM	18.01.2023 02:00 PM	19.01.2023 02:00 PM	प्राचार्य स्वामी विवेकानन्द राजकीय महाविद्यालय, खेतड़ी

1. निविदा आमंत्रण सूचना, विस्तृत आमंत्रण सूचना मय बोली दस्तावेज विभागीय वेबसाईट राजस्थान राज्य लोक उपापन पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in एवं https://hte.rajasthan.gov.in/college/govt.college.khetri@gmail.com (महाविद्यालय की वेबसाइट) पर भी देखी जा सकती है तथा कार्यालय प्राचार्य स्वामी विवेकानन्द राजकीय महाविद्यालय, खेतड़ी में किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में देखी जा सकती है।
2. बोली प्रतिभूति राशि एवं **दर संविदा** प्रपत्र शुल्क राशि का डिमान्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक अध्यक्ष महाविद्यालय विकास समिति राजकीय महाविद्यालय, खेतड़ी के पक्ष में बनाना होगा या कार्यालय समय में नकद जमा करवाकर रसीद प्राप्त कर सकते हैं।
3. तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड अलग—अलग मुहरबंद लिफाफे में डालकर उनके उपर तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड स्पष्ट रूप से लिखना होगा तदुपरान्त दोनों को एक ही मुहरबंद लिफाफे में डालना होगा। तकनीकी बिड के लिफाफे में ही प्रतिभूति राशि की रसीद डालनी होगी। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। त्रुटि होने पर निविदा को अस्वीकार कर दिया जायेगा।
4. प्राप्त निविदाओं की तकनीकी बिड दिनांक 18.01.2023 को दोपहर 2.00 बजे इस कार्यालय स्तर पर उपस्थित बोलीदाता / संवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष उपापन समिति द्वारा खोली जायेगी।
5. RTTP नियम 72 के अनुसार किसी भी निविदा को स्वीकार / अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का उपापन समिति का अधिकार सुरक्षित हैं।
6. किसी भी प्रकार की शर्तों के साथ, अपूर्ण एवं अधूरी बिड स्वीकार नहीं की जायेगी।
7. RTPP ACT 2012 एवं नियम 2013 (समय—समय पर संशोधित), सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम व वित्त विभाग के द्वारा समय—समय पर जारी निर्देश लागू होंगें।

(महीपाल)
अध्यक्ष / प्राचार्य
स्वामी विवेकानन्द राजकीय महाविद्यालय
खेतड़ी

प्राचार्य
स्वामी विवेकानन्द राजकीय महाविद्यालय
खेतड़ी (झुन्झुनूं)

राजस्थान सरकार

कार्यालय प्राचार्य स्वामी विवेकानन्द राजकीय महाविद्यालय,खेतड़ी

तकनीकी बोली प्रपत्र

1. बोलीदाता/फर्म का नाम ....
2. डाक का पता ....
....
3. फोन/मोबाईल नं0 ....
4. ई–मेल ....
5. बैंक का नाम ....

IFSC Code:– .... खाता संख्या ....

6. निविदा शुल्क रू. 200/–अक्षरे दो सौ मात्र डी.डी/बैंकर्स चैक नम्बर/नकद जमा की रसीद संख्या..................

दिनांक .... द्वारा जमा करवा दी गई है।

7. बोलीदाता/फर्म द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम्स में प्रस्तुत किया जावेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति स्कैन कर बोली दस्तावेजो के साथ लगानी होगी :–

क्र.सं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	पंजीकरण की विधिमान्य अन्तिम दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970					
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952					
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948					
4.	वस्तु एवं सेवाकर (GST)					
5.	आय कर (पैन नम्बर)					
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत					

8. निविदा प्रपत्र मूल्य एवं बोली प्रतिभूति राशि की डी.डी/बैंकर्स चैक/नकद जमा की रसीद संलग्न नहीं किये जाने पर वित्तीय बिड पर विचार नहीं किया जायेगा।
9. मैं/हम अध्यक्ष महाविद्यालय विकास समिति राजकीय महाविद्यालय, खेतड़ी द्वारा जारी की गई बोली आमंत्रण सूचना क्रमांक .... दिनांक...................... में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न बोली दस्तावेजो में दी गई बोली आमंत्रण सूचना के अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है।
10. तकनीकी–वाणिज्यिक बोली में क्वालिफाईड/सफल बोलीदाता/ संवेदक की ही वित्तीय बोली/प्राईस बिड खोली जायेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर नाम मय सील

प्राचार्य
स्वामी विवेकानन्द राजकीय महाविद्यालय
खेतड़ी (झुन्झुनूं)

कार्यालय प्राचार्य स्वामी विवेकानन्द राजकीय महाविद्यालय,खेतड़ी

निविदा की मुख्य शर्ते

General terms & conditions of Bid & Contract:-

Important Instruction:- The Law relating to procurement "The Rajasthan Transparency in Pubilc procurement Act, 2012"[hereinfafter called the Act and the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013 (RTTP) "[hereinfafter called the Rules] under the said Act have come into force which are available on the website of State Public Procurement Portal http://sppp.raj.nic.in. Therefore, the bidders are advised to acquaint themselves with the provisions of the Act and the Rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the provision of the Act and the Rules and this bidding document, the provision of the Act and the Rules shall prevail.

राजस्थान लोक उपापन में पादर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाईन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेगें। अतः सभी निविदादातओं से अनुरोध है कि राजस्थान लोक उपापन पोर्टल की वेबसाइट का भलीभांति अध्ययन कर लें।

1. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनिमय 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।
2. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक/बोलीदाता ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि स्कैन कर पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ प्रस्तुत की जायेगी।
3. संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाातों में जमा कराई गई राशि का विवरण आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिर्वाय रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
4. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा। श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर संवेदक/बोलीदाता को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
6. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों से कम दर स्वीकार्य नहीं होगी। **एक से अधिक प्रस्ताव प्राप्त होने एवं दरें समान होने की दशा में इस महाविद्यालय एवं खेतड़ी परिसर में कार्यरत अन्य राजकीय संस्थाओं में यदि निविदादाता के द्वारा सेवाएं उपलब्ध करवायी जा रही हैं तो उनसे कार्य संतुष्टि प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जा सकता है यदि कार्य संतुष्टि प्रमाण–पत्र प्रतिकूल प्राप्त होता है तो उस निविदादाता को असफल घोषित कर दिया जायेगा एवं जिसको कार्य संतुष्टि प्रमाण–पत्र अनुकूल प्राप्त होता है उसे वरीयता दी जायेगी। यदि इसके बाद भी एक से अधिक प्रस्ताव समान पाये जाते हैं तो इस प्रकार के कार्य हेतु क्रमशः अधिक अनुभवी एवं अधिक टर्नओवर वाली संस्था को वरीयता दी जावेगी।** ये सेवाएं पूर्णतया अस्थाई होगीं तथा जिनको समाप्त करने का पूर्ण अधिकार सेवा क्रेता को होगा। सन्तोषजनक सेवाएं होने पर आपसी सहमति के आधार पर अनुबन्ध अवधि को बढाया/घटाया जा सकेगा।
7. संवेदक/बोलीदाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक/बोलीदाता का अंशदान शामिल होगा। संवेदक/बोलीदाता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक/बोलीदाता को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
8. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
9. संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की ही होगी। संवेदक/बोलीदाता द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिर्वाय रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय

सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्व के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।

10. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति के उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक/बोलीदाता स्वंय उत्तरदायी होगा।
11. यदि संवेदक/बोलीदाता एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबंधकीय जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की होगी। इसके लिये खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी खेतड़ी के समक्ष प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
12. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने का औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
13. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध में/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा, इसके लिये इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। यदि संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत इस कार्यालय को प्राप्त होती है तो इसके संबंध में इस कार्यालय द्वारा श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक/बोलीदाता को Debar कराने की कार्यवाही की जायेगी।
14. न्यूनतम बोलीदाता (L-1) द्वारा कार्य करने में असमर्थ होने पर समान दर पर द्वितीय न्यूनतम बोलीदाता (L-2) को कार्य दिया जा सकेगा तथा न्यूनतम बोलीदाता (L-1) से बोली प्रतिभूति राशि /सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त की जाकर राजस्थान लोक उपापन में पादर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
15. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या भाडे (Sub-let) पर नहीं देगा।
16. जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाएगी वह 07 दिवस में कार्मिक उपलब्ध करवायेगा।
17. मूल्यांकन की कसौटी – तकनीकी–वाणिज्यिक बोली मे सफल/क्वालिफाइड बोलीदाता/संवेदक की न्यूनतम कीमत के आधार पर वित्तीय बोली/क्वालिफाईग बिड का मूल्यांकन किया जावेगा।
18. बोलियों का अपवर्जन (Exclude) :– अधिनियम की धारा 25 में उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।
19. निविदा में दी गयी मात्राएं अनुमानित है इसमें कमी या वृद्धि की जा सकती है।
20. करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Agreement and Performance Security) :–
(अ) बोली आमंत्रण में अंकित सामग्री की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 7 दिन में सेवा के प्रदाय आदेश की रकम की 2.5 प्रतिशत (नियम 75(2) के अनुसार जो लागू हो) राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक **अध्यक्ष महाविद्यालय विकास समिति राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी** के नाम पर जमा करानी होगी एवं 500 रूपये के नॉन–ज्यूंडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादन करना होगा।
(ब) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
21. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of Work Performance Security Deposit):– कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों मे समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा :–
(क) जब संविदा की शर्तो का उल्लधंन किया गया हो ।
(ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सामग्री सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
(ग) जब बोलीदाता सामग्री सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जाऐगा । इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा ।
22. भुगतानः–
(i) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल दो प्रतियो में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जाएगा । विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
23. परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages):– परिनिर्धारित क्षति के साथ सेवा सुपुर्दगी अवधि में वृद्वि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन सामग्री के मूल्यों के लिए की जाऐगी जिनकी बोलीदाता सामग्री सप्लाई करने में असफल रहा है:–

प्राचार्य
महाविद्यालय

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए –2.5%

(ख) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक –5%
किन्तु विहित अवधि की आधी अवधी से अनधिक के लिए

(ग) विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु –7.5%
विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए

(घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए –10%

(ड.) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड दिया जायेगा ।

(च) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10% होगी।

(छ) यदि बोलीदाता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत सेवा की सुपुर्दगी को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु वह, उसके लिए आवेदन, बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा ।

(ज) यदि सेवा की सुपुर्दगी करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणो से हुई हो, तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

24. किसी भी प्रकार की तकनीकी/वाणिज्यिक शर्तो मे आर0टी0टी0पी0 एक्ट के तहत शिथिलता प्रदान करने की शक्तियां कार्यालय की उपापन समिति मे निहित होगीं।
25. **न्यूनतम मजदूरी दर से कम का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जावेगा एवं निविदादाता का सर्विस चार्ज शून्य, ऋणात्मक या 1 रूपये से कम दर पर मान्य नहीं होगा।**
26. निविदा जमा कराने की तिथि को सार्वजनिक अवकाश होने पर कार्य आगामी कार्य दिवस में सम्पादित होगा।
27. कार्य आदेश आवश्यकतानुसार वांछित मात्राओं का अलग–अलग दिये जा सकेंगें।
28. निविदाओं में प्राप्त एवं स्वीकृत दरें दिनांक 30.04.2023 तक अथवा नवीन टेण्डर होने तक या कार्य सन्तोषप्रद रहने तक जो भी पूर्व में हो तक मान्य होंगी।
29. निविदा किसी साझेदारी फर्म द्वारा प्रस्तुत करने किये जाने की स्थिति में साझेदार के हस्ताक्षर अथवा फर्म की ओर से किसी एक पार्टनर को अधिकृत किये जाने की स्थिति में पॉवर ऑफ अटॉर्नी प्रस्तुत करनी होगी।
30. संलग्न किये हुए Annexure A B C D को ध्यानपूर्वक पढकर एवं समझकर सभी को हस्ताक्षरित करना होगा।
31. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र खेतड़ी होगा।

बोली के निर्वचन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या/संदेह हो तो कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है:–

बोलीदाता के हस्ताक्षर नाम मय सील

प्राचार्य
स्वामी विवेकानन्द राजकीय महाविद्यालय
खेतड़ी (झुन्झुनूं)

घोषणा पत्र

दर संविदा की समस्त जानकारी/शर्तों का मैंने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते है कि मै/हम उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है वास्तव में खुली निविदा में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित सामग्री उपलब्ध है तथा "अधिनियम" की धारा 46 एवं "नियम" के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिए विवर्जित (Debarred) नहीं है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/ हमारी कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत किया जा सकेगा तथा बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

प्राचार्य
स्वामी विवेकानन्द राजकीय महाविद्यालय
खेतड़ी (झुन्झुनूं)

कार्यालय प्राचार्य स्वामी विवेकानन्द राजकीय महाविद्यालय,खेतड़ी

पुस्तकालयाध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक कार्मिक का विवरण, जॉब/कार्य एवं विशिष्ट शर्तें

(1)- Trained Personnel

1. पुस्तकालयाध्यक्ष पद के लिए MLib होना चाहिए। MLib के साथ यूजीसी योग्यताधारी को प्राथमिकता दी जायेगी।
2. शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक पद के लिए MPed होना चाहिए। MPed के साथ यूजीसी योग्यताधारी को प्राथमिकता दी जायेगी।
3. हिन्दी व अंग्रेजी दोनो भाषा का जानकार होना चाहिए।

(2)-पुस्तकालयाध्यक्ष के जॉब/कार्य :– जॉब/कार्य का विवरण इस प्रकार है।

1. राजकीय कार्य दिवस में महाविद्यालय के समायानुसार प्रतिदिन कार्यालय समय में कार्य करना होगा।
2. हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा बोलनी व पढनी आनी चाहिए।
3. पुस्तकालयाध्यक्ष को पुस्तकालय में छात्रों को पुस्तकों का निर्गमन एवं पुनः प्राप्ति की नियमानुसार स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि करनी होगी।
4. पुस्तकालयाध्यक्ष को पुस्तकालय में पुस्तकों को भली भाति सुव्यवस्थित तरीके से पुस्तकों को संधारित करना होगा। किसी भी पुस्तक का आकस्मिक निरीक्षण/भौतिक सत्यापन के समय कम पाये जाने पर संबंधित राशि पुस्तकालयाध्यक्ष से वसूल की जायेगी।
5. पुस्तकालयाध्यक्ष को पुस्तकालय में शांति व्यवस्था बनाये रखना होगा।
6. पुस्तकालयाध्यक्ष को पुस्तकालय में प्राप्त नवीन पुस्तकों की सम्बन्धित रजिस्टर में प्रविष्ट करनी होगी।
7. पुस्तकालयाध्यक्ष को पुस्तकालय में प्राप्त नवीन पुस्तकों की मांग अनुसार क्रय समिति के समक्ष मांग पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. प्राचार्य/अध्यक्ष द्वारा उपर्युक्त बिन्दुओं से संबंधित एवं पुस्तकालय से संबंधित अन्य आवंटित कार्यों को करना होगा।

(3)-शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक के जॉब/कार्य :– जॉब/कार्य का विवरण इस प्रकार है।

1. राजकीय कार्य दिवस में महाविद्यालय के समायानुसार प्रतिदिन कार्यालय समय में कार्य करना होगा।
2. हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा बोलनी व पढनी आनी चाहिए।
3. विश्ववविद्यालय पाठ्यक्रमानुसार विभिन्न खेलों का आयोजन करवाना एवं इसके लिए छात्रों को प्रशिक्षित करना होगा।
4. विश्ववविद्यालय के द्वारा समय–समय पर विभिन्न महाविद्यालयों में खेलों के आयोजन पर टीम को खेल खिलाने के लिए वहां लेकर जाना होगा।
5. प्राचार्य/अध्यक्ष द्वारा उपर्युक्त बिन्दुओं से संबंधित एवं खेल से संबंधित अन्य आवंटित कार्यों को करना होगा।

प्राचार्य
स्वामी विवेकानन्द राजकीय महाविद्यालय
खेतड़ी (झुन्झुनूं)

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

तकनिकी बिड के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची/चैक लिस्ट

क्र. सं.	दस्तावेजों का विवरण	सलंग्न (हाँ/नहीं)	पेज संख्या
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970		
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952		
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948		
4.	वस्तु एवं सेवाकर (GST)		
5.	आय कर (पैन नम्बर)		
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत		
7	निविदा प्रपत्र शुल्क मुल्य राशि रू. ....जो लागू हो की नकद जमा की रसीद/डी.डी./बैकर्स चैक		
8	बोली प्रतिभूति शुल्क मुल्य राशि रू. ....जो लागू हो की नकद जमा की रसीद/डी.डी./बैकर्स चैक		

1. नोट क्रम संख्या 1 एवं 2 यदि लागु नहीं हो तो इस सम्बन्ध में निविदादाता एक वचन पत्र (अन्डरटेकिंग) निर्धारित मूल्य के नॉन जयूडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

प्राचार्य
स्वामी विवेकानन्द राजकीय महाविद्यालय
खेतड़ी (झुन्झुनूं)

राजस्थान सरकार

कार्यालय प्राचार्य स्वामी विवेकानन्द राजकीय महाविद्यालय,खेतड़ी

वित्तीय निविदा

कार्य आधारित सेवाओं के उपापन के लिये वित्तीय निविदा में दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेगी :–

क्र. सं.	कार्य / सेवा की प्रकृति	कार्य हेतू आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर प्रतिमाह	EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि (रूपये)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	8476		13.00% (नियोक्ता)	3.25% (नियोक्ता)		
2	शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक	1	8476		13.00% (नियोक्ता)	3.25% (नियोक्ता)		

1. उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ संख्या 1–4, 6 व 7 तक की पूर्तियां इस कार्यालय द्वारा की जाकर बोली दस्तावेजों में ही अंकित कर उपलब्ध कराई गई है तथा स्तंम्भ संख्या 5,8 एवं 9 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियाँ अंकित की जायेगी।
2. संवेदक / बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (GST) राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।

प्राचार्य
स्वामी विवेकानन्द राजकीय महाविद्यालय
खेतड़ी (झुन्झुनूं)

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर